The 1st September, 2021

No. 50/03/2017-5S(I): – In exercise of the powers conferred by section 27 of the Haryana Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887) and section 105 of the Haryana Tenancy Act, 1887 (Punjab Act 16 of 1887) and in supersession of Haryana Government, General Administration Department (Services), notification No. 50/48/92-S(I)A, dated the 17th June 1994, the Governor of Haryana hereby confers on all the Assistant Commissioners and Extra Assistant Commissioners, who have passed the departmental examination and have attained the experience of working for a period of two months as Assistant Collector, Grade-I, the powers of the Collector to hear appeals from the orders and decrees of Assistant Collector of the 1st and 2nd Grades under the said Acts p ovided they were first time (in the beginning) delegated the powers of the Collector by the State Government individually by a specific order. The powers of the Collector shall, however, be exercised by them while posted as:-

- (a) Sub Divisional Officer (Civil)
- (b) District Development and Panchayat Officer
- (c) Special Collector
- (d) City Magistrate

Vijai Vardhan Chief Secretary to Government, Haryana

No.50/3/2017-5S(I),

Dated, Chandigarh, the 1st September, 2021

A copy is forwarded to the Controller, Printing and Stationery, Government Press, Haryana, Chandigarlı for publishing the above notification in Part-I of Haryana Government Gazette.

2. Five copies of the Notification when published may please be supplied to this State Government.

Under Secretary Administration for Chief Secretary to Government, Haryana. Dated, Chandigarh, the 1st September, 2021

No.50/3/2017-5S(I),

A copy, each, is forwarded to the following for information and necessary action :-

- All Administrative Secretaries to Government of Haryana.
- 2. All Heads of the Department in Haryana
- Commissioner, Ambala/Hisar/Rohtak/Gurugram/Karnal/Faridabad Division.
- All Deputy Commissioners, in Haryana State.
- Special Secretary to Government, Haryana Revenue and Disaster Management Department.
- The Registrar, Punjab & Haryana High Court, Chandigarh.
- All IAS Officers of Haryana State.
- 8. All HCS Officers of Haryana State.
- 9. All Land Acquisition officers in Haryana State.

Under Secretary Administration for Chief Secretary to Government, Haryana.

.-,-,-,-,-,-

दिनांक 1 सितम्बर, 2021

संख्या 50/03/2017-5S(I):- हरियाणा भू—राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 17) की धारा 27 तथा हरियाणा अभिधृति अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 16) की धारा 105 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवाएं), अधिसूचना संख्या 50/48/92—एस(1) क, दिनांक 17 जून, 1994 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सभी सहायक आयुक्तों तथा अतिरिक्त सहायक आयुक्तों, जिन्होंने विभागीय परीक्षा उतीर्ण कर ली हो और सहायक कलैक्टर, ग्रेड 1 के रूप में दो मास का कार्य करने का अनुभव रखते हों, को उक्त अधिनियमों के अधीन सहायक कलैक्टर ग्रेड—। तथा ।। के आदेशों तथा डिक्रियों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए कलैक्टर की शक्तियां प्रदान करते हैं, बशर्त उन्हें जज्य सरकार द्वारा, प्रारम्भ में, प्रथम बार, विशेष आदेश, द्वारा व्यक्तिगत रूप में कलैक्टर की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हों। तथापि, उन द्वारा निम्नलिखत रूप में तैनाती के दौरान कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा;—

- (क) उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) :
- (ख) जिला विकास तथा पंचायत अधिकारीः
- (ग) विशेष कलैक्टरः
- (घ) नगराधीश।

विजय वर्धन मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

कमांक 50/03/2017-5S(I)

दिनांक चण्डीगढ 1सितंबर, 2021

इसकी एक प्रति नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हरियाणा चण्डीगढ़ को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है। उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना को हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करे तथा इसकी 50 प्रतियां प्रशासन विभाग (सेवाएं –। शाखा) को भिजवाये।

अवर सचिव प्रशासन

कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

कमांक 50/03/2017-5S(I)

दिनांक चण्डीगढ 1सितंबर, 2021 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू

इसकी एक—एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है।

- 1. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।
- 2. हरियाणा सरकार के सभी विभागों के प्रमुख।
- 3. आयुक्त, अम्बाला, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डल।
- 4. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त।
- 5. विशेष सचिव, राजरव एवं आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा सरकार।
- 6. रजिस्द्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।
- हरियाणा राज्य के सभी आईएस. अधिकारी।
- हरियाणा राज्य के सभी एचसीएस. अधिकारी।
- 9. हरियाणा राज्य के सभी अधिग्रहण अधिकारी।

अवर सचिव प्रशासन

कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

The 1st September, 2021

No. 50/03/2017-5S(I): – In exercise of the powers conferred by clause (C) of section 3 of the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894), clause (b) of section 2 of the Haryana occupancy Tenants (Vesting or Proprietary Right) Act, 1952 (Punjab Act 8 of 1953) and clause (2) of section 3 of the Haryana Restitution of Mortgaged Land Act, 1938 (Punjab Act 4 of 1938) and in supersession of Haryana Government, General Administration Department (Services), notification No. 50/48/92-S(I)B, dated the 17th June 1994, the Governor of Haryana hereby appoints/empowers all the Assistant Commissioners and Extra Assistant Commissioners who have passed the departmental examination and have attained the experience of working for a period of two months as Assistant Collector Grade-I, to perform the duties and functions of Collector under the said Acts provided they were for the first time (in the beginning) delegated the powers of the Collector by the State Government individually by a specific order. The powers of the Collector shall, however, be exercised by them while posted as:-

(a) Sub Divisional Officer (Civil)

(b) District Development and Panchayat Officer

Special Collector (c)

(d) City Magistrate

Vijai Vardhan Chief Secretary to Government, Haryana

No.50/3/2017-5S(I),

Dated, Chandigarh, the 1st September, 2021

A copy is forwarded to the Controller, Printing and Stationery, Government Press, Haryana, Chandigarh for publishing the above notification in Part-I of Haryana Government Gazette.

Five copies of the Notification when published may please be supplied to this State Government. Khan

Under Secretary Administration for Chief Secretary to Government, Haryana. Dated, Chandigarh, the 1st September, 2021

No.50/3/2017-5S(I),

A copy, each, is forwarded to the following for information and necessary action :-

- All Administrative Secretaries to Government of Haryana.
- 2 All Heads of the Department in Haryana. 3.
- Commissioner, Ambala/Hisar/Rohtak/Gurugram/Karnal/Faridabad Division.
- All Deputy Commissioners, in Haryana State. 4.
- Special Secretary to Government, Haryana Revenue and Disaster Management 5. Department.
- The Registrar, Punjab & Haryana High Court, Chandigarh. 6. 7
- All IAS Officers of Haryana State.
- 8. All HCS Officers of Haryana State.
- All Land Acquisition officers in Haryana State. 9

Under Secretary Administration for Chief Secretary to Government, Haryana.

दिनांक 1सितम्बर, 2021 संख्या 50/03/2017-5S(I):- भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 3 के खण्ड (ग) हरियाणा अभिधारी अधिभाग (साम्पत्तिक अधिकारों को निहित करना) अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 8) की धारा 2 के खण्ड (ख) तथा हरियाणा बंधकित भूमि प्रत्यास्थापन अधिनियम, 1938 (1938 का पंजाब अधिनियम IV) की धःरा 3 की उप—धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवाएं), अधिसूचना संख्या 50 / 48 / 92 – एस(1) ख, दिनांक 17 जून, 1994 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सभी सहायक आयुक्तों तथा अतिरिक्त सहायक आयुक्तों, जिन्होंने विभागीय परीक्षा उतीर्ण कर ली हो और सहायक कलैक्टर, ग्रेड—ा के रूप में दो मास का कार्य करने का अनुभव रखते हों, को उक्त अधिनियमों के अधीन कलैक्टर के कर्तव्यों और कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त / सशक्त करते हैं, बशर्ते उन्हें राज्य सरकार द्वारा, प्रारम्भ में, प्रथम बार, विशेष आदेश, द्वारा व्यक्तिगत रूप में कलैक्टर की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हों। तथापि, उन द्वारा निम्नलिखित रूप में तैनाती के दौरान कलैक्टर की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा,:--

- (क) उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) :
- (ख) जिला विकास तथा पंचायत अधिकारीः
- (ग) विशेष कलैक्टरः
- (घ) नगराधीश।

विजय वर्धन मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

क्मांक 50/03/2017-5S(I)

दिनांक चण्डीगढ 1सितंबर, 2021

इसकी एक प्रति नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हरियाणा चण्डीगढ़ को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है। उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना को हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करे तथा इसकी 50 प्रतियां प्रशासन विभाग (सेवाएं –। शाखा) को भिजवाये। Sthan

अवर सचिव प्रशासन

कमांक 50/03/2017-5S(I)

कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

दिनांक चण्डीगढ 1सितंबर, 2021 इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है।

- 1. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।
- 2. हरियाणा सरकार के सभी विभागों के प्रमुख।
- 3. आयुक्त, अम्बाला, हिसार, रोहतक, गुरूग्राम, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डल।
- हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त।
- विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, हिरयाणा सरकार।
- 6. रजिस्द्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।
- 7. हरियाणा राज्य के सभी आईएस. अधिकारी।
- हरियाणा राज्य के सभी एचसीएस. अधिकारी।
- 9. हरियाणा राज्य के सभी अधिग्रहण अधिकारी।

अवर सचिव प्रशासन कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

The 1st September, 2021 No. 50/03/2017-5S(I): - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Colonization of Government Lands Haryana Act, 1912 (Punjab Act 5 of 1912) and in supersession of Haryana Government, General Administration (Services), notification No. 50/48/92-S(I), dated the 9th May 1995, the Governor of Haryana hereby appoints all the Assistant Commissioners and Extra Assistant Commissioners, who have passed the departmental examination and have attained the experience of working for a period of two months as Assistant Collector, Grade-I, to perform all the functions and exercise all the powers of Collector under sections 17,20,24,25,26,32,33 and 34 of the said Act, provided they were originally delegated the powers of the Collector by the State Government individually by a specific order. The powers of the Collector shall, however, be exercised by them while posted as:-

(a) Sub Divisional Officer (Civil)

(b) District Development and Panchayat Officer

(C) Special Collector

(d) City Magistrate

Vijai Vardhan Chief Secretary to Government, Haryana

No.50/3/2017-5S(I).

Dated, Chandigarh, the 1st September, 2021

A copy is forwarded to the Controller, Printing and Stationery, Government Press, Haryana, Chandigarh for publishing the above notification in Part-I of Haryana Government Gazette.

Five copies of the Notification when published may please be supplied to this State Government. Hear

> Under Secretary Administration for Chief Secretary to Government, Haryana. Dated, Chandigarh, the 1st September, 2021

No.50/3/2017-5S(I),

A copy, each, is forwarded to the following for information and necessary action :-

- All Administrative Secretaries to Government of Haryana. 1.
- 2 All Heads of the Department in Haryana.
- Commissioner, Ambala/Hisar/Rohtak/Gurugram/Karnal/Faridabad Division. 3
- 4 All Deputy Commissioners, in Haryana State
- Special Secretary to Government, Haryana Revenue and Disaster Management 5. Department.
- 6. The Registrar, Punj ab & Haryana High Court, Chandigarh.
- All IAS Officers of Haryana State. 7
- 8. All HCS Officers of Haryana State.
- All Land Acquisition officers in Haryana State. 9

Under Secretary Administration for Chief Secretary to Government, Haryana.

दिनांक 1सितम्बर, 2021

संख्या 50/03/2017-5S(I):- सरकारी भूमि उपनिवेशन (हरियाणा) अधिनियम, 1912 (1912 का पंजाब अधिनियम 5) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवाए), अधिसूचना संख्या 50/48/92—एस(1), दिनांक 9 मई, 1995 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सभी सहायक आयुक्तों /अतिरिक्त सहायक आयुक्तों, जिन्होंने विभागीय परीक्षा उतीर्ण कर ली हो और सहायक कलैक्टर, ग्रेड—ा के रूप में दो मास का कार्य करने का अनुभव रखते हों, को उक्त अधिनियमों की धारा 17, 20, 24, 25, 26, 32, 33 तथा 34 के अधीन कलैक्टर के सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए तथा सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करते हैं, बशर्त उन्हें राज्य सरकार द्वारा, विशेष आदेश, द्वारा मूलतः व्यक्तिगत रूप में कलैक्टर की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हों। तथापि, एन द्वारा निम्नलिखित रूप में तैनाती के दौरान कलैक्टर की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा,:—

- (क) उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) :
- (ख) जिला विकास तथा पंचायत अधिकारीः
- (ग) विशेष कलैक्टरः
- (घ) नगराधीश।

विजय वर्धन मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

कमांक 50/03/2017-5S(I)

दिनांक चण्डीगढ 1सितंबर, 2021

इसकी एक प्रति नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हरियाणा चण्डीगढ़ को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है। उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना को हरियाणा सरकार के राज्यत्र में प्रकाशित करे तथा इसकी 50 प्रतियां प्रशासन विभाग (सेवाएं –। शाखा) को भिजवाये।

अवर सचिव प्रशासन

कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार। दिनांक चण्डीगढ 1सितंबर, 2021

कमांक 50/03/2017-5S(I)

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है।

- 1. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।
- 2. हरियाणा सरकार के सभी विभागों के प्रमुख।
- 3. आयुक्त, अम्बाला, हिसार, रोहतक, गुरूग्राम, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डल।
- 4. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त।
- 5. विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा सरकार।
- 6. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ।
- 7. हरियाणा राज्य के नभी आईएस. अधिकारी।
- 8. हरियाणा राज्य के सभी एचसीएस. अधिकारी।
- 9. हरियाणा राज्य के सभी अधिग्रहण अधिकारी।

अवर सचिव प्रशासन

कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

The 1st September, 2021 No. 50/03/2017-5S(I): - In exercise of the powers conferred by sub-clause

(b) of clause (9) of section 2 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899) and in supersession of Haryana Covernment, General Administration Department (Services), notification No. 50/48/92-S(I)B, dated the 17th June 1994, the Governor of Haryana hereby appoints/empowers all the Assistant Commissioners/Extra Assistant Commissioners who have passed the departmental examination in Revenue Law and Civil Law, to perform the duties and functions of Collector under the said Act provided they were for the first time (in the beginning) delegated the powers of the Collector by the State Government individually by a specific order. The powers of the Collector shall, however, be exercised by them while posted as:-

(a) Sub Divisional Officer (Civil)

District Development and Panchayat Officer (b)

(c) Special Collector

(d) City Magistrate

Vijai Vardhan Chief Secretary to Government, Haryana

No.50/3/2017-5S(I),

Dated, Chandigarh, the 1st September, 2021

A copy is forwarded to the Controller, Printing and Stationery, Government Press, Haryana, Chandigarh for publishing the above notification in Part-I of Haryana Government Gazette.

Five copies of the Notification when published may please be supplied to this State Government.

> Under Secretary Administration for Chief Secretary to Government, Haryana.

No.50/3/2017-5S(I).

Dated, Chandigarh, the 1st September, 2021

A copy, each, is forwarded to the following for information and necessary action :-

- All Administrative Secretaries to Government of Haryana. 1
- 2. All Heads of the Department in Haryana.
- Commissioner, Ambala/Hisar/Rohtak/Gurugram/Karnal/Faridabad Division. 3
- 4 All Deputy Commissioners, in Haryana State.
- Special Secretary to Government, Haryana Revenue and Disaster Management 5.
- The Registrar, Punjab & Haryana High Court, Chandigarh. 6.
- 7. All IAS Officers of Haryana State.
- All HCS Officers of Haryana State. 8
- All Land Acquisition officers in Haryana State.

Under Secretary Administration for Chief Secretary to Government, Haryana.

दिनांक 1सितम्बर, 2021

संख्या 50/03/2017-5S(I):- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 2 के खण्ड (9) के उप—खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों वा प्रयोग करते हुए तथा हारियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवाएं), अधिसूचना संख्या 50/48/92-एस (1) ख, दिनांक 17 जून, 1994 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सभी सहायक आयुक्तों / अतिरिक्त सहायक आयुक्तों, जिन्होंने राजस्व विधियों तथा सिविल विधियों में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को उक्त अधिनियम के अधीन कलैक्टर के कर्तव्यों और कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त / सशक्त करते हैं बशर्ते उन्हें राज्य सरकार द्वारा, प्रारम्भ में, प्रथम बार, विशेष आदेश द्वारा, व्यक्तिगत रूप से कलैक्टर की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हों। तथापि, उन द्वारा निम्नलिखित रूप में तैनाती के दौरान कलैक्टर की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा,

- (क) उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) :
- (ख) जिला विकास तथा पंचायत अधिकारीः
- (ग) विशेष कलैक्टरः
- (घ) नगराधीश।

विजय वर्धन मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

कमांक 50/03/2017-5S(I)

दिनांक चण्डीगढ 1सितंबर, 2021 इसकी एक प्रति नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हरियाणा चण्डीगढ़ को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है। उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना को हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करे तथा इसकी 50 प्रतियां प्रशासन विभाग (सेवाएं –। शाखा) को भिजवाये। Sthan

अवर सचिव प्रशासन

कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

कमांक 50/03/2017-5S(I)

दिनोंक चण्डीगढ 1 सितंबर, 2021

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है।

- 1. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।
- 2. हरियाणा सरकार के सभी विभागों के प्रमुख।
- 3. आयुक्त, अम्बाला, हिसार, रोहतक, गुरूग्राम, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डल।
- 4. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त।
- 5. विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा सरकार।
- 6. रजिस्द्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।
- हरियाणा राज्य के सभी आईएस. अधिकारी।
- हरियाणा राज्य के सभी एचसीएस. अधिकारी।
- 9. हरियाणा राज्य के सभी अधिग्रहण अधिकारी।

अवर सचिव प्रशासन

कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।